न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः–04/2024

1. दलबीरसिंह
2. प्रतापसिंह पुत्रान धूपसिंह जाति जाट निवासी तेरहियामाफी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। ....प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनसिंह
2. अजयसिंह
3. उदयसिंह पुत्रान मूलचन्द जाति जाट निवासी तेरहियामाफी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट।
3. श्री अशोक शर्मा एडवोकेट।

निर्णय **दिनांकः–12.05.2026**

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी पुराना खसरा नम्बर 189 रकवा 0.13 विस्वा नया खसरा नम्बर 138 रकवा 0.11है0 बाके ग्राम नगला तेरहियामाफी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होते समय प्रार्थीगण के पिता घूपसिंह 1/4 हिस्से पर काबिज थे तथा शेष 3/4 ,हिस्सा पर बाहिस्सा बराबर मुस. अतरी,हुक्मसिंह,हरीसिंह, काबिज आराजी थे जिनको आराजी पर शिकमी दर्ज रिकॉड किया हुआ है तथा राज. टीनेन्सी एक्ट की धारा 13 व 16ए तथा जमीदारी उन्मूलन अधि. के मुताबिक आराजी पर काबिज सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे लेकिन राजस्व रिकार्ड में उनको खातेदार दर्ज नहीं करते हुये कब्जे के आधार पर केवल शिकमी दर्ज रिकार्ड किया गया है। यहकि विवादित आराजी पर मुस. अतरी,हुक्मसिंह,हरीसिंह,व धूपसिंह अपने जीवन काल में आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे है व उनके वाद उनके वारिस आराजी पर काबिज चले आ रहे है। विवादित आराजी पर दिनांक 06.02.1969 को अतरी, हुक्मसिंह, हरीसिंह व धूपसिंह का काबिज रहते हुये भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार प्रहलाद व मोहकसिंह व धर्मसिंह ने आराजी पर शिकमी दर्ज अतरी, हुकमसिंह, हरीसिंह, व धूपसिंह के हक में एक विक्रय पत्र 2/3 हिस्से का तहरीर व तस्दीक कराया गया जिसमें उनका मौके पर कब्जा स्वीकार किया गया है उक्त दस्तावेज में राजस्व रिकार्ड में दर्ज शिकमी अतरी, हक्मसिंह, हरीसिंह व धूपसिंह के द्वारा गैर कानूनी रूप से आराजी के 1/3 हिस्सा के कब्जे का समर्पण व त्याग असल अप्रार्थीगण के पिता मूलचन्द पुत्र जोरमल के हक में दर्ज करा दिया है जो पूरी तरह अवैधानिक होने के कारण प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

के लिये निष्प्रभावी है। विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का समर्पण में त्याग केवल लैण्ड होल्डर तहसीलदार को ही किया जा सकता है जो नहीं किया गया है तथा समर्पण व त्याग गैर को दी गयी विधिक प्रक्रिया भी नहीं अपनायी गयी है, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक समर्पण व त्याग केवल लैण्ड होल्डर तहसीलदार के हक में ही किया जा सकता है। विवादित विक्रय पत्र में आराजी के 1/3 हिस्से का समर्पण व त्याग मूलचन्द पुत्र जोरमल के हक में किया गया है समर्पण व त्याग गैरकानूनी होने के कारण आराजी के 1/3 हिस्सा पर मूलचन्द को किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त नहीं होता है व कब्जे के अभाव में अप्रार्थीगण के पिता के नाम तहरीर कराया गया विक्रय पत्र शुन्य दस्तावेज की परिधी में आता है तथा विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 में 2/3 हिस्सा का विक्रय पत्र तहरीर किया गया है उसी दस्तावेज में इकरारनामा के रूप में 1/3 हिस्सा का समर्पण व त्याग किया गया है विक्रय व समर्पण दोनों एक साथ नहीं किये जा सकते है व विक्रय व इकरारनामा भी एक साथ एक ही दस्तावेज में तहरीर नहीं किये जा सकते है। अप्रार्थीगण व उनके पिता को विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 से किसी प्रकार के हक प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थीगण विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 के 1/3 हिस्से पर विवादित आराजी में अपना 1/3 हिस्सा मानते हुये प्रार्थीगण के कब्जे में दखल देने लग गये है। अतः प्रार्थीगण को आराजी के 1/4 का खातेदारी अधिकार की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है। प्रकरण हाजा में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा का पेश किया था जिसमें अप्रार्थीगण को रिकार्ड की यथास्थिति से पाबंद किया जा चुका है। प्रकरण हाजा में दोनों पक्षों के द्वारा विवादित जायदाद पर अपना कब्जा दर्शाया गया है। परन्तु मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। प्रकरण हाजा के निस्तारण में समय लगेगा जिसके कारण अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित जायदाद पर अपना कब्जा दर्शित करने के लिये मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके लिए अप्रार्थीगण के द्वारा मौके पर निमार्ण सामग्री भी डाल दी गयी। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा मौके पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया तो प्रार्थीगण के द्वारा किये गये दावे का औचित्य नहीं रहेगा तथा दौराने दावा अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया जावेगा। जिसके लिये अप्रार्थीगण के द्वारा मौके पर किये जा रहे निर्माण कार्य को धारा 151 सीपीसी के तहत तुरन्त प्रभाव से रूकवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण को जरिये धारा 151 सीपीसी ताफैसला बाद इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वह विवादित आराजी मुन्दर्जे मद नं. 2 प्रार्थना पत्र के कब्जे काश्त प्रार्थीगण में कोई मदाखलत मजाहमत नहीं करें व प्रार्थीगण को आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। प्रार्थीगण को कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा होती हो अप्रार्थीगण निमार्ण कार्य नहीं करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता धूपसिंह, अतरी, हुकमसिंह, हरीसिंह सन् 1969 से काफी समय पूर्व से ही प्रार्थीगण के बताये अनुसार उक्त विवादित आराजी के शिकमी काश्तकार थे। राजस्व कानून के अनुसार शिकमी काश्तकार कभी भी उक्त आराजी का मालिक व स्वामी नहीं होता है और न ही खातेदार होता है केवल एक किरायेदार मात्र होता है। दिनांक 06.02.1969 को उक्त आराजी के खातेदारान व काबिज आराजीयान प्रहलाद, मोहकमसिंह व धर्मसिंह ने उक्त

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

आराजी के 2/3 हिस्से का विक्रय पत्र धूपसिंह, हरीसिंह, अतरी व हुकमसिंह आदि के नाम किया है उसी के साथ ही 1/3 हिस्से का भी विक्रय पत्र उक्त खातेदारान द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 के पिता मूलचन्द पुत्र जोरमल के नाम किया है तभी से ही उक्त आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 लगा0 3 के पिता मूलचन्द का कब्जा है व उसी समय विक्रय पत्र के साथ ही कब्जा दे दिया गया था तभी उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो गया था। उक्त विक्रय पत्र को पूरी प्रक्रिया के तहत सब रजिस्टार रूपवास द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त विक्रय पत्र को करीब पचास बर्षों से आज तक किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है और ना ही प्रार्थीगण के द्वारा किसी भी न्यायालय में उक्त विक्रय पत्र को चैलेंज किया गया है और न ही उक्त विक्रय पत्र के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के विरूद्ध भी आज तक प्रार्थीगण के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 किसी प्रकार से शून्य व अवैध नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 के पिता मूलचन्द की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर प्रार्थीगण के पिता धूपसिंह द्वारा हस्तक्षेप करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 के पिता मूलचन्द द्वारा काफी समय पूर्व राजस्व न्यायालयों में मुकदमे चले जो कि मूलचन्द के पक्ष में डिक्री हुये उक्त प्रकरण मे पूर्व में ही न्यायालय श्रीमान में सुनबाई हो चुकी है तथा इसी आराजी बाबत् माननीय सिविल न्यायधीश महोदय उच्चैन में मुकदमा लंबित है। उक्त आराजी वावत् दिनांक 30.08.2013 को प्रार्थीगण के पिता धूपसिंह हिस्सा 1/6, विरमा देवी 1/6हिस्सा व अप्रार्थीगण सं. 1 लगा0 3 मोहनसिंह, अजयसिंह व उदयसिंह पुत्र मूलचन्द 2/3 हिस्सा सभी पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ था एवं राजीनामा में अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पिता धूपसिंह एवं विरमादेवी ने विवादित आराजी का विभाजन कर लिया और दोनों पक्षों के मध्य तय हुआ कि उक्त आराजी बाबत् चल रहे सभी मुकदमों को वापिस लेंगे व अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज रहेंगे। न्यायालय श्रीमान द्वारा पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में केवल बेचान न किये जाने बावत् स्थगन जारि किया हुआ है रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बावत् कोई स्थगन जारी नहीं किया गया है और जो स्थगन पूर्व में श्रीमान न्यायालय द्वारा जारि किया गया है उसकी हम अप्रार्थीगण द्वारा कोई अवहेलना नहीं की गई है और न ही प्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है कि उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना हुई है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी गैर कानूनी रूप से पेश किया है जबकि इसकी पेश करने की आवश्यकता किसी प्रकार नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण ने पूर्व में उक्त आराजी का कोई भी मौका निरिक्षण नहीं कराया है। उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है। उक्त आराजी पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होते समय प्रार्थीगण के पिता घूपसिंह 1/4 हिस्से पर काबिज थे तथा शेष 3/4 हिस्सा पर बाहिस्सा बराबर मुस. अतरी,हुक्मसिंह,हरीसिंह, काबिज आराजी थे जिनको आराजी पर शिकमी दर्ज रिर्काड किया हुआ है तथा राज. टीनेन्सी एक्ट की धारा 13 व 16ए तथा जमीदारी उन्मूलन अधि. के मुताबिक आराजी पर काबिज सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे लेकिन राजस्व रिकार्ड में उनको खातेदार दर्ज नहीं करते हुये कब्जे के आधार पर केवल

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

शिकमी दर्ज रिकार्ड किया गया है। विवादित आराजी पर दिनांक 06.02.1969 को अतरी, हुक्मसिंह, हरीसिंह व धूपसिंह का काबिज रहते हुये भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार प्रहलाद व मोहकसिंह व धर्मसिंह ने आराजी पर शिकमी दर्ज अतरी, हुकमसिंह, हरीसिंह, व धूपसिंह के हक में एक विक्रय पत्र 2/3 हिस्से का तहरीर व तस्दीक कराया गया जिसमें उनका मौके पर कब्जा स्वीकार किया गया है उक्त दस्तावेज में राजस्व रिकार्ड में दर्ज शिकमी अतरी, हक्मसिंह, हरीसिंह व धूपसिंह के द्वारा गैर कानूनी रूप से आराजी के 1/3 हिस्सा के कब्जे का समर्पण व त्याग असल अप्रार्थीगण के पिता मूलचन्द पुत्र जोरमल के हक में दर्ज करा दिया है जो पूरी तरह अवैधानिक होने के कारण प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रार्थीगण के लिये निष्प्रभावी है। जबकि शिकमी व्यक्ति हकत्याग नही कर सकता है। प्रार्थी ने अटल सेवा केन्द्र के लिये भी भूमि दान की है। प्रश्नगत आराजी पर न्यायालय हाजा में स्थगन आदेश होने के बाबजूद भी अप्रार्थीगण निर्माण कार्य कर रहे है एवं विवादित आराजी पर कब्जा करना चाह रहे है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश की पालना कराये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 06.02.1969 को उक्त आराजी के खातेदारान व काबिज आराजीयान प्रहलाद, मोहकमसिंह व धर्मसिंह ने उक्त आराजी के 2/3 हिस्से का विक्रय पत्र धूपसिंह, हरीसिंह, अतरी व हुकमसिंह आदि के नाम किया है उसी के साथ ही 1/3 हिस्से का भी विक्रय पत्र उक्त खातेदारान द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 के पिता मूलचन्द पुत्र जोरमल के नाम किया है तभी से ही उक्त आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 लगा0 3 के पिता मूलचन्द का कब्जा है व उसी समय विक्रय पत्र के साथ ही कब्जा दे दिया गया था तभी उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो गया था। उक्त विक्रय पत्र को पूरी प्रकिया के तहत सब रजिस्टार रूपवास द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त विवादित आराजी पर आज भी अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज है। न्यायालय श्रीमान के द्वारा प्रकरण हाजा में दोनों पक्षों को उक्त आराजी का बेचान नहीं करने की अस्थाई निषेधज्ञा से ताफैसला बाद पाबंद किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय श्रीमान के आदेश की अबहेलना नहीं की है। और न ही प्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है कि उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना हुई है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी गैर कानूनी रूप से पेश किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.02.2022 प्रार्थना पत्र 212 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर उभयपक्ष को बेचान न करने की अस्थाई निषेधज्ञा से ताफैसला बाद पाबंद किया गया है। प्रकरण हाजा के साथ प्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके की अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.02.2022 की अवहेलना की है एव ना ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई हुक्म उदूली का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर